[2019] 1 एस. सी. आर 682

स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड।

(2019 की सिविल अपील संख्या 1291)

29 जनवरी, 2019

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम, 1956:

एसएस। 439 , 434 (1) (ए) और (1) (बी), 441 (2) और 529-समापन

याचिका-सुरक्षित लेनदार/प्रतिवादी द्वारा-बैंक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण से डिक्री और वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद

उस पर आधारित-ऋणी की याचिका याचिका की रखरखाव क्षमता

कंपनियों ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि याचिका को एस में प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। 17 आर/डब्ल्यू। ऋण वसूली अधिनियम की धारा 18; कि लेनदार को या तो अपनी प्रतिभूति छोड़नी चाहिए और कार्यवाही को समाप्त करने में कतार में खड़ा होना चाहिए।

या समापन कार्यवाही के बाहर अपनी सुरक्षा का एहसास करें; और वर्तमान मामले में एस। 434 (1) (ख) आकर्षित होगा न कि एस। 434 (1) (क) अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः परिसमापन कार्यवाही ऋणों की वसूली के लिए एक कार्यवाही नहीं है और इसलिए यह नहीं होगा

एस की भाषा द्वारा कवर किया गया। 17 आर/डब्ल्यू। एसएस। 18 और एस। 34 ऋण वसूली अधिनियम-यू/एस। 439 , बंद करने के लिए एक सुरक्षित लेनदार की याचिका को छोड़ने की किसी भी आवश्यकता के बिना बनाए रखा जा सकता है

सुरक्षा-एस को देखते हुए। 529 (1) (ग), धारा 47 लागू होगी न कि धारा। 9 (2) प्रांतीय दिवाला अधिनियम और इसलिए समापन याचिका को याचिका की प्रस्तुति के समय शुरू नहीं माना जा सकता है। 441 (2) ऋणदाताओं द्वारा, गलत स्थान पर रखा गया है-जिस स्तर पर समापन याचिका दायर की गई थी, उसी स्तर पर इसे दायर नहीं किया जा सकता था। s.434 (1) (b) और इसलिए s। 434 (1) ((b) अप्रयोज्य था

बंद करने की याचिका विचारणीय थी-देय ऋणों की वसूली

बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993। 17 , 18 और 34 प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920-एस. 9 (2) और 47.

एसएस। 434 (1) (क) और (1) (ख)-प्रावधानों की प्रयोज्यता

-

आयोजित किया गयाः उप-ओं की प्रयोज्यता। ((ख) एस। 434 (1) इसका अर्थ यह नहीं है कि एस के उपखंड (ए) के तहत प्रावधान। 434 (1) एस के उपखंडों में से प्रत्येक लागू नहीं होगा। 434 (1) वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं।

682 स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1 . समापन कार्यवाही ऐसी कार्यवाही नहीं है जिसे ऋणों की वसूली के लिए कार्यवाही के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और

कार्यवाही बैंकों के कारण "ऋणों की वसूली के लिए" नहीं है, बार ऋण वसूली अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित धारा 18 में निहित कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समापन कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। [पैरा 13] [695-जी-एच; 696-ए]

समामेलित वाणिज्यिक व्यापारी (पी.) लिमिटेड बनाम ए. सी. के

कृष्णस्वामी और ओआरएस। (1965) 35 कम्प कैस 456 (एससी); मेसर्स आईबीए हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. मेसर्स इंफो-ड्राइव सिस्टम एस. डी. एन. बीएच. डी. (2010) 10 एससीसी 553: [2010] 12 एस. सी. आर. 137-पर निर्भर।

वायरल फिलामेंट्स लिमिटेड v. इंडसइंड बैंक लिमिटेड (2001) 3 माह एलजे 552-अनुमोदित।

आधिकारिक परिसमापक (2005) 8 एस. सी. सी. 190: [2005] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1073; आधिकारिक परिसमापक बनाम। इलाहाबाद बैंक (2013) 4 एससीसी 381: [2013] 4 एस. सी. आर. 207-संदर्भित।

2.1 एस के अनुसार ऐसा कहना सही नहीं है। 441 (2) कंपनी अधिनियम के अनुसार, किसी कंपनी का समापन शुरू माना जाएगा।

समापन के लिए याचिका की प्रस्तुति के समय, और यह कि जिस स्तर पर एक सुरक्षित लेनदार को अपनी प्रतिभूति छोड़नी होती है, वह समापन याचिका दायर करने के स्तर पर ही है। [पैरा 17] [700-सी-डी]

2.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 के तहत

बंद करने के लिए सुरक्षित लेनदार की याचिका बिना किसी प्रतिभूति को छोड़ने या छोड़ने की आवश्यकता के बनाए रखने योग्य है। यह प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 9 (2) के विपरीत है। एस के समान एक प्रावधान। 9 (2) प्रांतीय दिवाला अधिनियम एस में अनुपस्थित है। 439 कंपनी अधिनियम, 1956। [पैरा 17] [700

2.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (1) (सी) विशेष रूप से दिवालिया कानून के तहत एक सुरक्षित लेनदार के अधिकार को संदर्भित करती है। " दिवाला घोषित व्यक्तियों की संपदाओं के संबंध में "। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (1) (सी) की स्पष्ट भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह प्रांतीय दिवाला की धारा 47 है।

केवल अधिनियम, 1920 ही आकर्षित करता है, न कि धारा 9 (2)। प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 47 केवल इस स्तर पर आती है जहाँ एक निर्णय आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 द्वारा निर्दिष्ट चरण है। [पैरा 17] [701-ए-बी; 700-एच]

2.4 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (2) पर निर्भरता एक और कारण से गलत है। धारा 441 (2) होनी चाहिए

धारा 441 (1) के साथ पठित और इस प्रकार पठित, यह स्पष्ट करता है कि उप-धारा (2) को अधिनियमित करना आवश्यक हो गया, क्योंकि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने की याचिका -

कहा जाता है कि प्रस्ताव के पारित होने के समय, एक पूर्ववर्ती बिंदु पर शुरू होता है, जिसके द्वारा कंपनी

स्वेच्छा से खुद को समाप्त करने का संकल्प लेता है। इसके विपरीत, इसलिए, धारा 441 (2) में कहा गया है कि "किसी अन्य मामले में", अर्थात, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 की उप-धारा (1) के तहत आने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में, न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी का समापन होगा -

समाप्त करने के लिए याचिका की प्रस्तुति के समय शुरू माना जाता है। इसलिए, प्रावधान के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 9 (2) को पिछले दरवाजे से पेश किया जाए, जब ऐसा कोई प्रावधान संविधान की धारा 439 में निहित नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 स्वयं। [पैरा 17] [701-सी-ई]

जितेंद्र नाथ सिंह बनाम। आधिकारिक परिसमापक (2013) 1 एससीसी

हेगड़े एंड गोले लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक आई. एल. आर. 1987 केएआर 2673; एशियन पावर कंट्रोल्स लिमिटेड बनाम। बुलबुला गोयल

(2013) 3 माह एलजे 811 17-अनुमोदित।

3. यह नहीं कहा जा सकता है कि एस। 434 (1) ((ख) वर्तमान मामले में लागू था। धारा 434 (1) (बी) केवल तभी आकर्षित होती है जब निष्पादन या

कंपनी के लेनदार के पक्ष में एक न्यायाधिकरण के आदेश के संबंध में अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है जिसे पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट रूप से वापस कर दिया जाता है। यह केवल उन तीन उदाहरणों में से एक है जिसमें एक कंपनी स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड।

यह समझा जाएगा कि वह अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। यदि वास्तविक स्थिति धारा 434 (1) के उपखंड (बी) में फिट बैठता है, तो एक कंपनी कहा जा सकता है

ऐसा माना जाए कि वह अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि धारा 434 (1) के उपखंडों में से प्रत्येक इस अर्थ में पारस्परिक रूप से अनन्य है कि एक बार धारा 434 (1) (बी)

धारा 434 (1) (ए) लागू नहीं होती है। इसके अलावा, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत एक नोटिस के अनुसार कंपनी याचिका दायर की गई थी। यह

याचिका कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (ए) के साथ पठित धारा 433 (ई) के तहत दायर की गई थी। जिस स्तर पर याचिका दायर की गई है

434 (1) ((ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वसूली प्रमाण पत्र के रूप में निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी नहीं की गई थी। कंपनी की याचिका दायर होने तक वसूली अधिकारी द्वारा। [पैरा 19] [705-ए-डी]

4. वर्तमान जैसे मामलों का निर्णय करना होगा

लेनदारों के ब्याज को संतुलित करना। अपीलार्थी जैसे व्यक्तियों के लिए यह खुला नहीं है कि वे समापन याचिका का विरोध करें जो अन्यथा बनाए रखने योग्य है, बिना किसी वास्तविक बचाव के।

एक ही। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ऋण वसूली अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक साथ समापन कार्यवाही के तहत एक उपाय का पीछा करने में गर्मजोशी और ठंड उड़ा रहा है। [पैरा 20] [705-ई-एफ]

लिसेन्डेन बनाम। सी. ए. वी. बॉश लिमिटेड [1940] 1 ऑल ई. आर. 425 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(1965) 35 कम्प कैस 456 (एससी)

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2010] 12 एससीआर 137

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[1966] 3 एससीआर 948

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

(2001) 3 माह एलजे 552

पै

रा 14

मंजूरी मिल गई।

[2005] 3 पूरक। एससीआर 1073

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2013] 4 एससीआर 207 16

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

मंजूरी मिल गई।

आईएलआर 1987 केएआर 2673 (2013) 3 माह एलजे 811 17

पै

रा 17

अनुमो

दित [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 13 एससीआर 339

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1940] 1 सभी ई. आर. 425

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1291

2019 से।

उच्च न्यायालय के 28.01.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की अपील संख्या 339 में बॉम्बे में न्यायिक प्रक्रिया।

के साथ

सिविल अपील सं। 1292 , 1294 , 1293 2019 से।

के. परमेश्वर, उदित गुप्ता (मेसर्स के लिए। उदित किशन और

एसोसिएट्स), एड. अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सोनिया दुबे, एस. चक्रवर्ती, सुश्री.

सुरभी आनंद, सुश्री हर्षिता वर्मा, सुश्री कंचन यादव (मेसर्स के लिए)। कानूनी विकल्प, अधिवक्ता), अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. वर्तमान मामले में एक सुरक्षित लेनदार का फाइल करने का अधिकार शामिल है।

ऐसे सुरक्षित लेनदार द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण ["डी. आर. टी".] से एक डिक्री और उस पर आधारित वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद एक समापन याचिका।

3. कई अपीलों को सुनवाई के लिए एक साथ लिया गया था

बम्बई उच्च न्यायालय की खंड पीठ। वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ने विभिन्न प्रकार की अग्रिम कार्रवाई की

विचाराधीन कंपनियों को ऋण। ब्याज सहित आज की तारीख तक इन कंपनियों के खिलाफ बकाया राशि 48 करोड़ रुपये के क्षेत्र में बताई गई है। प्रत्यर्थी ने ऋण वसूली से संपर्क किया

न्यायाधिकरण, मुंबई ने वसूली के लिए तीन अलग-अलग मूल आवेदन दायर किए

उन पर कर्ज है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी बैंक द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति देते हुए 16.01.2015 पर तीन अलग-अलग निर्णय दिए। जाहिरा तौर पर, उक्त आदेश अंतिम हैं क्योंकि ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं की गई है

[" डीआरएटी "], मुंबई। उक्त राशि के लिए 12.08.2015 दिनांकित वसूली प्रमाण पत्र तब वसूली अधिकारी द्वारा धारा स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. के तहत जारी किए गए थे।

लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

19 (19) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 ["ऋणों की वसूली अधिनियम"]। हमें सूचित किया गया है कि

उन संपत्तियों की नीलामी के लिए कई प्रयास किए गए जो दिए गए ऋणों के लिए प्रतिभूति थीं, लेकिन इनमें से प्रत्येक प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला।

यह है कि एक ही ऋण की वसूली के लिए एक समापन याचिका ऋण वसूली अधिनियम की धारा 17 और 18 के संयुक्त पठन पर स्पष्ट रूप से वर्जित होगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी मामले में, सुरक्षित लेनदार को एक ऐसे चुनाव के लिए रखा जाता है जहां उसे या तो अपनी सुरक्षा छोड़ देनी चाहिए और समापन कार्यवाही में कतार में खड़ा होना चाहिए या समापन कार्यवाही के बाहर अपनी सुरक्षा का एहसास करना चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, इसने समापन कार्यवाही के बाहर अपनी सुरक्षा का एहसास करने के लिए एक सफल कार्रवाई दायर की है, जिसके परिणामस्वरूप, उसके द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूति को छोड़े बिना दायर की गई समापन कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं होगी। यह आगे तर्क दिया गया था

कि, किसी भी स्थिति में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (बी) आकर्षित होगी, न कि धारा 434 (1) (ए), और चूंकि प्रतिभूति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए धारा 434 (1) (ए) के तहत तैयार की गई समापन याचिका, लेकिन वास्तव में धारा 434 (1) (बी) के तहत, बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके अलावा, विवादित फैसले द्वारा उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों पर निर्भरता इस कारण से पूरी तरह से गलत है कि कंपनी अधिनियम, 1956 से पता चलता है कि सुरक्षित लेनदार को समापन याचिका दायर करने पर अपनी प्रतिभूति छोड़नी होती है, न कि उसके बाद, जैसा कि इन निर्णयों में कहा गया है।

5. इन दलीलों के जवाब में, प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया है,

विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 पर भरोसा करते हुए, कि एक सुरक्षित लेनदार वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्य स्थिति में समापन याचिका को बनाए रख सकता है। उनके अनुसार, अपीलार्थी द्वारा दिए गए निर्णय, अर्थात् इलाहाबाद बैंक बनाम. केनरा बैंक, (2000) 4 एस. सी. सी. 406, इस मायने में अलग है कि उस निर्णय के संदर्भ में यह था कि क्या ऋण वसूली अधिनियम के तहत ऋण वसूली की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी थी, जब समापन कार्यवाही या तो लंबित है, या समापन आदेश दिया गया है। उन्होंने हमारे सामने यह भी तर्क दिया कि सुरक्षित लेनदार द्वारा अपनी सुरक्षा छोड़ने के साथ होने वाला चुनाव इस स्तर पर है कि

दावों का प्रमाण, जो समापन आदेश पारित होने के बाद ही है, और वर्तमान मामले के तथ्यों पर कौन सा चरण अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा, उनके अनुसार, याचिका केवल ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर दायर की गई है, और एक बार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (ए) के तहत वैधानिक अनुमान लगाए जाने के बाद, यह स्पष्ट है कि ऋणों की बकाया राशि के भुगतान के अभाव में समापन का पालन करना चाहिए। ऋणी है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उनके मुवक्किल अपीलार्थियों को दिए गए ऋण की वसूली के प्रयास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं और अभी तक ऐसा करने के किसी भी प्रयास में सफल नहीं हुए हैं। इसके अलावा, अब तक कुछ भी नहीं चुकाया गया है और इन कंपनियों पर बकाया ऋण, जो बढ़ रहा है, 48 करोड़ रुपये का एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। विद्वान वकील के अनुसार, इसलिए, उच्च न्यायालय अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज करने में सही था।

6. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह महत्वपूर्ण है कि

सबसे पहले कंपनी अधिनियम, 1956 और ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित किया गया।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) इस प्रकार हैः

" 434. कंपनी जब अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ मानी जाती है। — (1) एक कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाएगा।

लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(क) यदि कोई लेनदार, असाइनमेंट द्वारा या अन्यथा, जिस पर कंपनी एक लाख रुपये से अधिक की राशि में ऋणी है, तो उसने कंपनी की सेवा की है।

अपने पंजीकृत कार्यालय में, पंजीकृत डाक द्वारा या

अन्यथा, उसके हाथ में एक मांग जिसमें कंपनी को देय राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और कंपनी ने उसके बाद तीन सप्ताह तक राशि का भुगतान करने की उपेक्षा की है, या सुरक्षित करने के लिए या

लेनदार की उचित संतुष्टि के लिए इसके लिए चक्रवृद्धि;

(ख) यदि कंपनी के लेनदार के पक्ष में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण की डिक्री या आदेश पर जारी निष्पादन या अन्य प्रक्रिया पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट रूप से वापस की जाती है; या (ग) यदि यह न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि

कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, और यह निर्धारित करने में कि क्या कोई कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, न्यायाधिकरण आकस्मिक और संभावित ऋणों को ध्यान में रखेगा। कंपनी की
देनदारियाँ।

XXX XXX "

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 (1) (बी) और धारा 439 (2) इस प्रकार हैः

" 439. समापन के लिए आवेदनों के बारे में प्रावधान। — (1) अ.

कंपनी के समापन के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन इस धारा के प्रावधानों के अधीन याचिका द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

XXX XXX XXX ((ख) किसी भी ऋणदाता या
ऋणदाता द्वारा, जिसमें कोई आकस्मिक या

संभावित लेनदार या लेनदार; या

XXX XXX XXX

(2) एक सुरक्षित लेनदार, किसी भी डिबेंचर का धारक (जिसमें शामिल हैं)

डिबेंचर स्टॉक), चाहे किसी ट्रस्टी या ट्रस्टी के पास हो या नहीं

डिबेंचर धारकों के लिए न्यासी, उप-धारा (1) के खंड (बी) के अर्थ के भीतर लेनदार माना जाएगा। XXX XXX "

धारा 441, जो समापन की शुरुआत से संबंधित है, निम्न को पढ़ती हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 441. न्यायाधिकरण द्वारा समापन की शुरुआत। - (1)

जहाँ, न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी को बंद करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने से पहले, द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है

स्वैच्छिक रूप से कंपनी को समाप्त करने के लिए, कंपनी को समाप्त करना प्रस्ताव के पारित होने के समय शुरू हुआ माना जाएगा, और जब तक कि न्यायाधिकरण, धोखाधड़ी या गलती के प्रमाण पर, अन्यथा निर्देश देना उचित नहीं समझता है, तब तक स्वैच्छिक रूप से की गई सभी कार्यवाहियां

समापन वैध रूप से लिया गया माना जाएगा। (2) अन्य किसी भी मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी का समापन समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के समय शुरू हुआ माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 529 (1) इस प्रकार हैः

दिवालिया कंपनियां। — (1) एक दिवालिया के समापन में कंपनी, वही नियम प्रबल होंगे और उनके संबंध में पालन किया जाएगा

को

(क) सिद्ध करने योग्य ऋण; (बी) वार्षिकी और भविष्य और आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन;

और

(ग) सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार;

जो कुछ समय के लिए दिवालिया घोषित व्यक्तियों की संपदाओं के संबंध में दिवालिया कानून के तहत लागू हैं:

XXX XXX "

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 में दिया गया संदर्भ

प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 47 जो इस प्रकार है -

वीएसः

“ 47. सुरक्षित लेनदार। — (1) जहाँ एक सुरक्षित लेनदार को एहसास होता है

उसकी सुरक्षा, वह उसके कारण संतुलन के लिए साबित हो सकता है, के बाद

(2) जहाँ एक सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति को छोड़ देता है लेनदारों का सामान्य लाभ, वह अपने पूरे ऋण के लिए साबित हो सकता है।

(3) जहां कोई सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति का एहसास या त्याग नहीं करता है, वह अपने ऋण को अनुसूची में दर्ज करने का हकदार होने से पहले अपने प्रतिभूति का विवरण अपने प्रमाण में बताएगा।

और वह मूल्य जिस पर वह इसका आकलन करता है, और इस प्रकार निर्धारित मूल्य में कटौती करने के बाद ही उसे देय शेष राशि के संबंध में लाभांश प्राप्त करने का हकदार होगा। (4) जहाँ प्रतिभूति इतनी मूल्यवान है, न्यायालय किसी भी समय कर सकता है।

प्राप्ति से पहले ऋणदाता को भुगतान करने पर उसे छुड़ा लें।

मूल्यांकन मूल्य। (5) जहां एक लेनदार, अपनी प्रतिभूति का मूल्यांकन करने के बाद, बाद में इसे महसूस करता है, तो प्राप्त शुद्ध राशि को प्रतिभूति के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा।

लेनदार द्वारा पहले किए गए किसी भी मूल्यांकन की राशि, और इसे सभी मामलों में लेनदार द्वारा किए गए संशोधित मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा।

लेनदार।

(6) जहाँ एक सुरक्षित लेनदार प्रावधानों का पालन नहीं करता है। इस धारा के तहत उसे किसी भी लाभांश के सभी हिस्से से बाहर रखा जाएगा।

7. ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 17. न्यायाधिकरणों की अधिकारिता, शक्तियाँ और अधिकार। — (1) ए.

न्यायाधिकरण नियत दिन से इसका प्रयोग करेगा -

मनोरंजन और निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और अधिकार

वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवेदन

ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण। (1 - क) उप-धारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, -

(क) न्यायाधिकरण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली तारीख को और उससे आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करेगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के भाग III के तहत;

(ख) न्यायाधिकरण की सभी जिलों में सर्किट बैठकें होंगी।

मुख्यालय।

(2) अपीलीय न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत किसी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए या किए गए किसी आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए नियत दिन से अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करेगा।

(2 - क) उप-धारा (2) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली तारीख को और उससे, [2019] एस. सी. आर. पर विचार करने के लिए अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के भाग III के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील।

" 18. अधिकारिता का बार। (उच्चतम न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय को छोड़कर) किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के पास धारा 17 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों या प्राधिकरण का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा।

बशर्ते कि प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन की शुरुआत की तारीख से पहले लंबित किसी भी बहु-राज्य सहकारी बैंक के कारण ऋणों की वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही और

प्रारम्भ में, ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होता है। " 19. न्यायाधिकरण में आवेदन। —

XXX XXX XXX

(19) जहाँ किसी कंपनी के खिलाफ वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत परिभाषित और ऐसी कंपनी परिसमापन के अधीन है, न्यायाधिकरण एक आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी कंपनी की सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326 में या किसी अन्य कानून के तहत उसी तरीके से वितरित किया गया है।

बल देते हैं।

XXX XXX "

" 34. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। (1) उप-धारा (2) के तहत दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी दस्तावेज में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

XXX XXX "

8. इलाहाबाद बैंक बनाम. केनरा बैंक (ऊपर), इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या उस मामले में सुरक्षित लेनदार, अर्थात् इलाहाबाद बैंक ने कंपनियों के तहत कंपनी न्यायालय से अनुमति लेने के लिए झिझक की थी।

1956 , और क्या कंपनी अदालत वसूली पर रोक लगा सकती है

ऋण वसूली अधिनियम स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. के तहत शुरू किए गए संपादन।

लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समापन आदेश पारित किए जाने की स्थिति में। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने ऋण वसूली अधिनियम की धारा 17 और 18 को जोड़ते हुए कहा कि धारा 17 के तहत ऋणों की वसूली के लिए आवेदनों के निर्णय के संबंध में न्यायाधिकरण की अधिकारिता अनन्य है। कोई दोहरी अधिकारिता पर विचार नहीं किया गया है, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 34 के संबंध में, जिसका कंपनी अधिनियम, 1956 सहित अन्य कानूनों पर प्रबल प्रभाव है-पैराग्राफ 21 से 23 देखें। उक्त निर्णय में आगे कहा गया हैः

हमारी राय में, एक विशेष न्यायाधिकरण का निर्देश दोनों न्यायनिर्णयन और निष्पादन के लिए है

प्रक्रिया

ए

इन ऋणों की किसी भी अन्य मामले में प्राप्ति के साथ स्पष्ट रूप से असंगत

प्रमाण पत्र के निष्पादन द्वारा राशि क्रमशः इसके भीतर है न्यायाधिकरण और वसूली अधिकारी की अनन्य अधिकारिता

और कोई अन्य अदालत या प्राधिकरण बहुत कम दीवानी अदालत या

और अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर वसूली। बिंदु 1 तय किया गया है तदनुसार "।

(मूल में जोर)

9. जवाब देने में कि क्या ऋण वसूली अधिनियम ओवरराइड करता है

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 442 और 537 और 446 के प्रावधानों के तहत, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऋण वसूली अधिनियम एक विशेष क़ानून है जो अनिवार्य रूप से अधिक सामान्य क़ानून, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 के उपरोक्त प्रावधानों को ओवरराइड करेगा। अन्यथा भी, यदि दोनों को विशेष कानूनों के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऋण वसूली अधिनियम बाद में एक गैर-अबाधित खंड के साथ है।

धारा 34, उक्त अधिनियम ऋण वसूली अधिनियम में निर्धारित सीमा तक प्रभावी होगा। इस न्यायालय ने तब निष्कर्ष निकालाः

" 50. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि इस स्तर पर

धारा 17 के तहत निर्णय लेना और प्रमाण पत्र का निष्पादन

आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 की धारा 25 आदि के तहत

न्यायाधिकरण और [2019] 1 एस. सी. आर. में वसूली अधिकारी पर अनन्य अधिकार क्षेत्र।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों का सम्मान और

धारा 537 के साथ पठित धारा 442 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 के तहत कंपनी न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आर. डी. बी. अधिनियम के तहत प्राप्त धन के संबंध में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच प्राथमिकताओं का सवाल

और अन्य लेनदारों का निर्णय केवल न्यायाधिकरण द्वारा आर. डी. बी. अधिनियम के तहत और कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के साथ पठित धारा 19 (19) के अनुसार किया जा सकता है और किसी अन्य तरीके से नहीं। द.

आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के प्रावधान उपरोक्त सीमा तक हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ असंगत और बाद वाले अधिनियम को पूर्व के प्रावधानों को स्वीकार करना होगा। यह स्थिति देनदार कंपनी के खिलाफ समापन याचिका के लंबित रहने के दौरान और समापन आदेश पारित होने के बाद भी अच्छी रहती है। आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के तहत कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के लिए कंपनी न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बिंदु 2 और 3 का निर्णय तदनुसार अपीलार्थी के पक्ष में और खिलाफ किया जाता है। उत्तरदाताओं "।

11. यह तय कानून है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) और 434 के तहत शुरू की गई समापन कार्यवाही ऋण के भुगतान को लागू करने का एक साधन नहीं है। यह न्यायालय, समामेलित में वाणिज्यिक व्यापारी (पी.) लिमिटेड बनाम ए. सी. के. कृष्णस्वामी और अन्य। , (1965) 35 कम्प कैस 456 (एससी) ["समामेलित वाणिज्यिक व्यापारी"] ने कहा हैः

" 13. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "एक समापन याचिका ऋण के भुगतान को लागू करने का एक वैध साधन नहीं है जो कि प्रामाणिक है।

कंपनी द्वारा विवादित। बंद करने के आदेश के लिए लेकिन वास्तव में दबाव डालने के लिए प्रस्तुत की गई याचिका को खारिज कर दिया जाएगा, और परिस्थितियों में एक निंदनीय दुरुपयोग के रूप में कलंकित किया जा सकता है। अदालत की प्रक्रिया "। स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कानून के इस कथन का बाद में कई निर्णयों में पालन किया गया है, जिनमें से एक मेसर्स आई. बी. ए. हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड वी. मेसर्स इंफो-ड्राइव सिस्टम एस. डी. एन. बीएच. डी. , (2010) 10 एस. सी. सी. 553 (पैराग्राफ 21 पर)।

12. तथापि, यह इंगित किया गया कि इस न्यायालय का बाद का निर्णय, तीन विद्वान न्यायाधीशों की स्वयं की शक्ति का, हरिनगर शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड में। एम. डब्ल्यू. प्रधान, (1966) 3 एस. सी. आर. 948 ["हरिनगर शुगर मिल्स"] ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

" 5. ..... क्या यह कहा जा सकता है कि कंपनी को बंद करने के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा दायर याचिका कंपनी की प्राप्ति का एक तरीका नहीं है?

कंपनी से संयुक्त परिवार के कारण ऋण? पाल्मर में कंपनी पूर्ववर्ती, भाग II, 1960 संस्करण। , पी पर। 25 , निम्नलिखित

परिच्छेद प्रकट होता हैः

" एक समापन याचिका एक पूरी तरह से उचित उपाय है न्यायसंगत ऋण के भुगतान को लागू करना। यह निष्पादन का वह तरीका है जो न्यायालय एक लेनदार को एक असमर्थ कंपनी के खिलाफ देता है।

अपने कर्ज चुकाने के लिए।

इस दृष्टिकोण का समर्थन बोवेस बनाम में निर्णयों द्वारा किया जाता है। होप लाइफ इंश्योरेंस एंड गारंटी कंपनी [(1865) II एच. एल. सी. 388], री जनरल कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ लैंड क्रेडिट [(1870) एल. आर. 5 सीएच. डी. 380] और री नेशनल परमानेंट बिल्डिंग सोसाइटी [(1869) एल. आर. 5 सीएच डी 309]। यह सच है कि "बंद करने का आदेश किसी कंपनी के मामले में उसके कारण ऋण की वसूली के लिए सामान्य प्रक्रिया का एक सामान्य विकल्प नहीं है"; लेकिन फिर भी यह एक रूप है।

न्यायसंगत निष्पादन "।

13. यह सच है कि इस न्यायालय ने कहा है कि एक समापन याचिका है

ऋण के न्यायसंगत निष्पादन का एक रूप, लेकिन यह यह कहते हुए योग्य है कि परिसमापन आदेश लेनदार को देय ऋणों की प्राप्ति के लिए सामान्य प्रक्रिया का एक सामान्य विकल्प नहीं है। हमारा विचार है कि दोनों निर्णय समामेलित वाणिज्यिक में निहित हैं। व्यापारी (ऊपर) और साथ ही साथ हरिनगर चीनी मिल (ऊपर) में, इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि समापन कार्यवाही ऐसी कार्यवाही नहीं है जिसे ऋणों की वसूली के लिए कार्यवाही के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और इसलिए, ऋण वसूली अधिनियम की धारा 18 के साथ पठित धारा 17 की भाषा द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। जब कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समापन कार्यवाही की बात आती है, क्योंकि ऐसी कार्यवाही बैंकों को देय ऋणों की वसूली के लिए नहीं है, तो धारा 18 में निहित बार को [2019] 1 एस. सी. आर. पढ़ा जाता है।

ऋण वसूली अधिनियम की धारा 34 कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत समापन कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। 14. वास्तव में, वायरल फिलामेंट्स लिमिटेड बनाम में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ। इंडसइंड बैंक लिमिटेड, (2001) 3 माह एलजे 552

इलाहाबाद बैंक बनाम में निर्णय की बारीकी से जांच करने के बाद यह निष्कर्ष निकला। इस न्यायालय का केनरा बैंक (ऊपर)। हम स्वीकार करते हैं।

उपरोक्त बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में निहित तर्क।

15. तथापि, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित श्री के. परमेश्वर ने राजस्थान राज्य वित्तीय निगम बनाम पर भी भरोसा किया।

आधिकारिक परिसमापक, (2005) 8 एस. सी. सी. 190, और उपरोक्त निर्णय का अनुच्छेद 18, विशेष रूप से। पैराग्राफ 18 इस प्रकार हैः

" 18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार देना उचित समझते हैंः

(i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत कार्य करने वाला एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ऋणदाता की संपत्तियों को बेचने का आदेश देने का हकदार होगा, भले ही कोई कंपनी अपने वसूली अधिकारी के माध्यम से परिसमापन में हो, लेकिन कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक या परिसमापक को नोटिस देने के बाद और उसे सुनने के बाद ही।

((ii) धारा 31 के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाला जिला न्यायालय।

एस. एफ. सी. अधिनियम के तहत किसी उधारकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री का आदेश देने की शक्ति होगी, लेकिन आधिकारिक परिसमापक या कंपनी द्वारा नियुक्त परिसमापक को नोटिस देने के बाद ही।

अदालत और उसे सुनने के बाद।

(iii) यदि एस. एफ. सी. अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्य करने वाला कोई वित्तीय निगम किसी देनदार कंपनी की परिसंपत्तियों को बेचने या अन्यथा हस्तांतरण करने का प्रयास करता है, तो उक्त शक्ति का उपयोग उसके द्वारा किया जा सकता है।

कंपनी न्यायालय से उचित अनुमति प्राप्त करने और बिक्री के साथ आधिकारिक परिसमापक को जोड़ने के संबंध में उस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में कार्य करने के बाद ही, अपतटीय मूल्य या आरक्षित मूल्य का निर्धारण, बिक्री की पुष्टि, बिक्री आय का धारण और धारा 529-ए और धारा 529 के संदर्भ में लेनदारों के बीच इसका वितरण।

कम्पनी अधिनियम।

(iv) ऐसे मामले में जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 या एस. एफ. सी. अधिनियम स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. के तहत कार्यवाही की जाती है।

लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

गति में नहीं हैं, संबंधित लेनदार को संबंधित प्रावधानों के अनुरूप अपनी प्रतिभूतियों की प्राप्ति के संबंध में उचित निर्देशों के लिए कंपनी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है।

परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण के संबंध में कंपनी अधिनियम।

वास्तव में, पैराग्राफ 18 के उप-पैराग्राफ (i) और (iv) से पता चलता है कि डी. आर. टी. के समक्ष कार्यवाही, और कार्यवाही को समाप्त करना।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, समानांतर धाराओं में जारी रखा जा सकता है। यही कारण है कि पैराग्राफ 18 (i) में कहा गया है कि ऋण वसूली अधिनियम के तहत कार्य करने वाला ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ऋणदाता की संपत्तियों को बेचने का आदेश देने का हकदार होगा, यहां तक कि परिसमापन में एक कंपनी की भी, लेकिन आधिकारिक परिसमापक को या कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक को नोटिस देने के बाद और उसे सुनने के बाद ही।

16. इसी तरह के प्रभाव के लिए आधिकारिक परिसमापक v में इस न्यायालय का निर्णय है। इलाहाबाद बैंक, (2013) 4 एस. सी. सी. 381, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 24. उपरोक्त अधिकारियों से, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि

डी. आर. टी. द्वारा आधिकारिक परिसमापक के सहयोग से बिक्री का संचालन किया जाना है। हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि चूंकि वर्तमान विवाद केवल बिक्री से संबंधित है, इसलिए हम वितरण के संबंध में कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि आर. डी. बी. अधिनियम की धारा 19 (19) के तहत, विधायिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वितरण 1956 के अधिनियम की धारा 529-ए के अनुसार किया जाना है। ऐसा कहने का उद्देश्य यह है कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और न्यायाधिकरण के पास विशेष है

वसूली के लिए संपत्तियों की बिक्री के उद्देश्य के लिए अधिकार क्षेत्र

बैंकों और वित्तीय संस्थानों का बकाया "।

XXX XXX XXX

" 31. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि डी. आर. टी.

बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित कार्यवाही में संपत्तियों को बेचने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र, लेकिन नीलामी और बिक्री के समय, आधिकारिक परिसमापक को संबद्ध करना आवश्यक है। उक्त सिद्धांत को प्रवीण गदा बनाम में भी दोहराया गया है। केंद्रीय बैंक

भारत का [(2013) 2 एस. सी. सी. 101: (2013) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 988]

32. एक बार जब आधिकारिक परिसमापक संबद्ध हो जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी यह देखने की भूमिका है कि [2019] 1 एस. सी. आर. के संचालन में कोई अनियमितता न हो।

नीलामी आयोजित करके नीलामी और उचित मूल्य प्राप्त किया जाता है।

एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीके से

आर. डी. बी. अधिनियम के तहत बनाए गए नियम।

17. विद्वान वकील द्वारा उठाया गया दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु

अपीलार्थी का कहना है कि कंपनी अधिनियम, 1956 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुरक्षित लेनदार को परिसमापन के लिए याचिका दायर करते समय यह बताना होगा कि उसने अपनी प्रतिभूति छोड़ दी है, अन्यथा ऐसी परिसमापन याचिका विचारणीय नहीं होगी। हेगड़े एंड गोले लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक,

आई. एल. आर. 1987 के. ए. आर. 2673, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, जे. वेंकटचलैया, (जैसा कि वे उस समय थे) ने इस मुद्दे को इस प्रकार निपटायाः

बिना चुनाव कराए भी समापन याचिका बनाए रखें धारा 9 (2) द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति या मूल्य को छोड़ना।

प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920। यह आग्रह किया जाता है कि अनुभाग द्वारा

529 (1) अधिनियम की धारा 9 (2) में दिवाला के नियम हैं -

आकर्षित किया।

प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 9 (2) में कहा गया हैः

" यदि याचिका दायर करने वाला लेनदार एक सुरक्षित लेनदार है, तो वह अपने

याचिका में या तो यह कहा गया है कि वह अपनी सुरक्षा छोड़ने को तैयार है

ऋणी होने की स्थिति में लेनदारों के लाभ के लिए

दिवालिया घोषित किया गया या मूल्य का अनुमान दिया गया

सुरक्षा। बाद के मामले में, उसे एक याचिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है

लेनदार अपने देय ऋण की शेष राशि की सीमा तक इस प्रकार अनुमानित मूल्य को उसी तरह घटाने के बाद जैसे कि

वह एक असुरक्षित लेनदार थे।

(मूल में जोर)

दिवालियापन; लेकिन अगर वह किसी लेनदार की समापन याचिका लाता है तो वह अपनी याचिका में यह बताना चाहिए कि वह या तो त्याग करने के लिए तैयार है

लेनदारों के निकाय के लाभ के लिए प्रतिभूति या एक अनुमान दें

प्रतिभूति का मूल्य। सीखी हुई कंपनी-न्यायाधीश ने लिया है

विचार, यदि हम सम्मान के साथ ऐसा कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, कि यह नियम

दिवाला कानून एक समापन की प्रस्तुति की ओर आकर्षित नहीं है

याचिका दायर करें।

स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

14. श्री शेट्टी का कहना है कि दिवालियापन और समापन दोनों में कानून समान है और याचिका दायर करने वाले-लेनदार, यदि वह एक सुरक्षित लेनदार है, तो उसे धारा 9 (2) के नियम का पालन करना चाहिए। उन्होंने एम. के. रंगनाथन बनाम पर भरोसा किया। मद्रास सरकार [ए. आई. आर 1955 एस. सी. 604] और हंसराज बनाम। आधिकारिक परिसमापक, देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड [ए. आई. आर 1929 इलाहाबाद 353]। रंगनाथन के मामले [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 604] में जिस अवलोकन पर भरोसा किया गया वह यह हैः

" धारा 229 सुरक्षित लेनदार की स्थिति को मान्यता देती है।

आम तौर पर समापन के बाहर के रूप में लेकिन उसे अपने ऋण को साबित करने के लिए समापन कार्यवाही का लाभ उठाने की इच्छा की स्थिति में, उसी का मूल्य निर्धारित करने और वितरण में हिस्सेदारी करने में सक्षम बनाता है।

कंपनी की परिसंपत्तियों का अनुपात ठीक उसी तरह जैसे वह प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम या प्रांतीय दिवाला अधिनियम के तहत दिवाला के मामले में कर पाएगा।

एक्ट "।

हंसराज के मामले में [ए. आई. आर. 1929 इलाहाबाद 353] यह कहा गया थाः

" ..... इसलिए, मेरी राय है कि इसमें निहित नियम

प्रांतीय दिवाला अधिनियम की कोई भी धारा, अधिनियम के तहत बनाए गए नियम, यदि कोई हों, और

दिवाला कार्यवाही में अभ्यास में आयात किया जाता है कंपनी अधिनियम, जब तक कि कंपनी अधिनियम में ही पहले से ही विचाराधीन मामले के लिए कुछ प्रावधान नहीं है, या

उस नियम के साथ संघर्ष जिसे आयात करने का प्रस्ताव है।

इन दो वर्गों के लेनदारों के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों की ओर नियम इतने आकर्षित होते हैं। 'अधिनियम' की धारा 528 और 529 अध्याय में हैं। " दावों का प्रमाण और श्रेणीकरण "और ऋणों के प्रमाण और सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के अधिकारों के सवाल से निपटना। धारा 529 (2) स्वयं, जहाँ तक यह स्पष्ट रूप से परिकल्पना करता है, और इस आकस्मिकता के लिए प्रावधान करता है कि यदि कोई प्रतिभूति-लेनदार अपनी प्रतिभूति का एहसास करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे परिसमापक द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करना चाहिए, निहितार्थ से, श्री द्वारा विवादित निर्माण को खारिज कर देता है।

शेट्टी। धारा [2019] 1 एस. सी. आर. में "दिवालिया कंपनी के समापन में-अप" शब्द हैं।

529 (1) 'अधिनियम' का स्पष्ट रूप से समापन के बाद का संदर्भ है स्टेज।

ध्यान देने वाली बात यह है कि दिवालिया होने का यह नियम ऋण के प्रमाण के मामले में समाप्त होने की ओर आकर्षित होता है। वह समापन क्रम के चरण के बाद है। 'अधिनियम' की धारा 439 (2) के तहत एक सुरक्षित लेनदार उतना ही होता है जितना कि एक लेनदार परिसमापन प्रस्तुत करने का हकदार होता है।

किसी भी अन्य की तरह याचिका। दिवाला कानून के तहत निर्णय के लिए याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक सुरक्षित लेनदार के अधिकार के संबंध में कानून एक सुरक्षित लेनदार के अधिकार से अलग है। समापन याचिका।

श्री परमेश्वर ने कानून के इस कथन पर आपत्ति जताई और विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 का उल्लेख किया।

इसकी उप-धारा (2) में यह कहा गया है कि यह निर्णय इस तथ्य से चूक गया है कि किसी कंपनी को बंद करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने के समय कंपनी को बंद करना शुरू माना जाएगा और यदि ऐसा है, तो जिस स्तर पर किसी प्रतिभूति प्राप्त लेनदार को अपनी प्रतिभूति छोड़नी है, वह समापन याचिका दायर करने के चरण में है। हम डरते हैं कि

सहमत नहीं हो सकते। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 के तहत, बंद करने के लिए एक सुरक्षित लेनदार की याचिका बिना किसी आवश्यकता के बनाए रखने योग्य है।

अपनी सुरक्षा छोड़ दें या छोड़ दें। यह प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 9 (2) के विपरीत है, जो इस प्रकार हैः

" 9. शर्तें जिन पर लेनदार याचिका दायर कर सकता है।

XXX XXX XXX

(2) यदि याचिका दायर करने वाला लेनदार एक सुरक्षित लेनदार है, तो वह अपनी याचिका में या तो यह बताएगा कि वह देनदार को दिवालिया घोषित किए जाने की स्थिति में लेनदारों के लाभ के लिए अपनी प्रतिभूति छोड़ने को तैयार है, या प्रतिभूति के मूल्य का अनुमान देगा। बाद के मामले में, उसे एक याचिकाकर्ता लेनदार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जो उस तरह से अनुमानित मूल्य की कटौती करने के बाद उसे देय ऋण की शेष सीमा तक उसी तरह से स्वीकार करता है जैसे कि वह एक असुरक्षित था।

लेनदार "।

इसकी अनुपस्थिति में जो बात स्पष्ट है, वह प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 439 की धारा 9 (2) के समान एक प्रावधान है।

कंपनी अधिनियम, 1956। वास्तव में, प्रांतीय की धारा 47 दिवाला अधिनियम, 1920 केवल उस स्तर पर होता है जब एक निर्णय स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 द्वारा निर्दिष्ट चरण है। वास्तव में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (1) (सी) विशेष रूप से दिवालिया घोषित व्यक्तियों की संपत्तियों के संबंध में दिवालिया कानून के तहत एक सुरक्षित लेनदार के अधिकार को संदर्भित करती है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (1) (सी) की स्पष्ट भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह केवल प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 47 है जो आकर्षित करती है, न कि धारा 9 (2), जैसा कि हमारे सामने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (2) पर निर्भरता एक और कारण से गलत है। धारा 441 (2) को धारा 441 (1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए पढ़ा जाना चाहिए, यह स्पष्ट करता है कि उप-धारा (2) को अधिनियमित करना आवश्यक हो गया, क्योंकि एक याचिका को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने के लिए

न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कंपनी को शुरू करने के लिए कहा जाएगा

इसलिए, धारा 441 (2) में कहा गया है कि "किसी अन्य मामले में", यानी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 की उप-धारा (1) के तहत आने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में, न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी का समापन समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के समय से शुरू माना जाएगा। इसलिए, प्रावधान के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 9 (2) को पिछले दरवाजे से पेश किया जाए, जैसा कि था, जब ऐसा कोई प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 में निहित नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 में प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 9 (2) के समान किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति; कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (1) (सी) की भाषा, जो स्पष्ट रूप से केवल धारा 47 को संदर्भित करती है और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 9 (2) को नहीं; और जिस संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (2) दिखाई देती है, वह उन याचिकाओं को समाप्त करने के विपरीत है जो स्वैच्छिक समापन याचिकाओं के साथ अधिनियम के तहत दायर सभी याचिकाएं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कानून के सही कथन पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, कानून के इस कथन का पालन बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने एशियन पावर कंट्रोल्स लिमिटेड बनाम में किया है। बबल्स गोयल, (2013) 3 माह एलजे 811 निम्नानुसार हैः

" 10. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 (1) में प्रावधान है कि एक दिवालिया कंपनी के समापन में, वही नियम प्रबल होंगे और (ए) देय ऋण; (बी) मूल्यांकन [2019] 1 एस. सी. आर. के संबंध में उनका पालन किया जाएगा।

वार्षिकी और भविष्य और आकस्मिक देनदारियों; और (ग) सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार; जो इस संबंध में दिवाला कानून के तहत कुछ समय के लिए लागू हैं। दिवाला घोषित व्यक्तियों की संपदाओं को। धारा 529 की उप-धारा (2) के तहत, ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी मामले में कंपनी की परिसंपत्तियों के लिए लाभांश साबित करने और प्राप्त करने के हकदार होंगे, वे समापन के तहत आ सकते हैं और कंपनी के खिलाफ ऐसे दावे कर सकते हैं जो वे धारा के आधार पर करने के हकदार हैं। धारा 529-ए श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के बकाया ऋणों के लिए एक अधिमानी तरजीही प्राथमिकता प्रदान करती है, जिस हद तक ऐसे ऋण धारा 529 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (सी) के तहत ऐसे बकाया के साथ समान श्रेणी में आते हैं। दिवाला के नियम जो हैं -

परिसमापन की कार्यवाही की ओर आकर्षित होने वाले अन्य बातों के साथ-साथ ऋण के प्रमाण से संबंधित हैं। यह समापन क्रम के चरण के बाद होता है। हेगड़े और गोले लिमिटेड बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के लिए बोलते हुए श्री न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के एक फैसले में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, आई. एल. आर. 1987 के. ए. आर. 2673। कैनफिन होम्स लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश के फैसले में भी इस सिद्धांत का पालन किया गया है कि समापन से संबंधित प्रावधानों की योजना, विशेष रूप से

धारा 528 और 529 में वे संकेत देंगे कि ऋण के दावे को साबित करने का चरण समापन के आदेश के पारित होने के बाद उत्पन्न होता है। कैन्फिन होम्स लिमिटेड में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 15. सुरक्षित लेनदार जो अपनी पूरी बात साबित करना चाहता है

परिसमापन की कार्यवाही के दौरान ऋण पहले होना चाहिए

लेनदारों का सामान्य निकाय। अगर वह अपनी सुरक्षा सौंप देता है लेनदारों के सामान्य निकाय के लाभ के लिए, वह साबित कर सकता है

उसका सारा कर्ज। यदि प्रतिभूत लेनदार को एहसास हो गया है कि उसका

प्रतिभूति, वह उसके बाद उसके कारण संतुलन के लिए साबित हो सकता है

प्रतिभूति का त्याग तब होता है जब कोई प्रतिभूति प्राप्त लेनदार ऐसा करना चाहता है समापन के दौरान अपने पूरे ऋण को साबित करें। अगर वह

पूरे को समाप्त करने के क्रम में साबित करने के लिए चुनता है देय ऋण और उसके कारण, उसे अनिवार्य रूप से अपना समर्पण करना पड़ता है

सामान्य निकाय लेनदारों के लाभ के लिए प्रतिभूति।

(मूल में जोर)

स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर

पीवीटी। लिमिटेड। वी. कोटाक

महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मद्रास, कलकत्ता और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के निर्णयों में लगातार पालन की जाने वाली कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि कैनफिन होम्स लिमिटेड में कंपनी न्यायालय के फैसले में दोहराया गया है, अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किए गए निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है। कानून इस बात की अनुचित शर्त नहीं लगाता है कि एक सुरक्षित लेनदार को अपनी प्रतिभूति छोड़ने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि वह उस कंपनी से आग्रह करने का अधिकार देता है जो

प्रतिभूति लेनदारों के निकाय के लाभ के लिए सुनिश्चित होगी। दूसरी ओर, यह एक सुरक्षित लेनदार के लिए ऋण की सीमा तक कार्यवाही को समाप्त करने के दौरान साबित करने के लिए खुला है। इस प्रकार प्राप्त की गई राशि का लेखांकन करके या प्रतिभूति के अधीन संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाकर समाप्त करने की कार्यवाही के बाहर प्राप्त नहीं किया गया है ताकि वह ऋण की शेष राशि के संबंध में साबित करने में सक्षम हो सके। मामले के किसी भी दृष्टिकोण पर, वह चरण अभी भी आना बाकी है।

18. वास्तव में, जितेंद्र नाथ सिंह बनाम में भी। आधिकारिक परिसमापक, 3) 1 एस. सी. सी. 462, यह न्यायालय, राष्ट्रीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 47 और कंपनी अधिनियम की धारा 529 का उल्लेख करने के बाद,

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 16.1 . एक सुरक्षित लेनदार के पास केवल कंपनी की किसी विशेष संपत्ति या संपत्ति पर शुल्क होता है। सुरक्षित लेनदार के पास है या तो अपनी सुरक्षा का एहसास करने या अपनी सुरक्षा छोड़ने का विकल्प। यदि सुरक्षित लेनदार किसी अन्य असुरक्षित लेनदार की तरह अपनी प्रतिभूति छोड़ देता है, तो वह अपने देय ऋण को साबित करने और समापन कार्यवाही में कंपनी की परिसंपत्तियों से लाभांश प्राप्त करने का हकदार है। यदि सुरक्षित लेनदार अपनी प्रतिभूति का एहसास करने का विकल्प चुनता है, तो वह समापन कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही में अपनी प्रतिभूति का एहसास करने का हकदार है, लेकिन परिसमापक को प्रतिभूति के संरक्षण की लागत का भुगतान करना पड़ता है जब तक कि उसे प्रतिभूति का एहसास नहीं हो जाता।

(जोर दिया गया)

XXX XXX XXX " 17. अपने उपरोक्त निष्कर्षों के समर्थन में, हम अब कुछ अधिकारियों का हवाला दे सकते हैं। इलाहाबाद बैंक बनाम. केनरा बैंक [(2000) 4 एस. सी. सी. 406], इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एम. जगन्नाथ राव, जे. के माध्यम से बोलते हुए एस. सी. सी. में बताए गए निर्णय के पैरा 62,63,64 और 65 में सुरक्षित लेनदारों के इन अधिकारों पर चर्चा की, जो नीचे दिए गए हैंः (एससीसी पीपी। 435-36)

" 62. सुरक्षित लेनदार दो श्रेणियों में आते हैं। वे जो

कंपनी अदालत के समक्ष जाने की इच्छा और जो लोग चाहते हैं परिसंचरण के बाहर खड़े हो जाएँ।

63. ऊपर उल्लिखित सुरक्षित लेनदारों की पहली श्रेणी वे हैं जो लाभांश के लिए कंपनी न्यायालय के समक्ष जाते हैं

दिवाला के अनुसार अपनी प्रतिभूति का त्याग करना

धारा 529 में उल्लिखित नियम। दिवाला नियम ये हैं

प्रांतीय दिवाला की धारा 45 से 50 में निहित

एक्ट करें। उस अधिनियम की धारा 47 (2) में कहा गया है कि एक सुरक्षित लेनदार जो आधिकारिक परिसमापक के सामने आना चाहता है उसे साबित करना होगा

धारा 529 (2) में दिए गए उसके लाभांश को लें। आज तक, केनरा बैंक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह आना चाहता है या नहीं।

इस श्रेणी के तहत।

XXX XXX "

स्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

19. अब हम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (बी) के आधार पर तर्क पर आते हैं। यह स्पष्ट है कि धारा 434 (1) (बी) केवल तभी आकर्षित होती है जब किसी आदेश के संबंध में निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है।

कंपनी के लेनदार के पक्ष में न्यायाधिकरण को पूरी तरह या आंशिक रूप से असंतुष्ट वापस कर दिया जाता है। यह केवल तीन उदाहरणों में से एक है जिसमें एक कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाएगा। यदि तथ्य स्थिति धारा 434 (1) के उपखंड (बी) के अनुरूप है, तो एक कंपनी को कहा जा सकता है

अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाता है। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि धारा 434 (1) के प्रत्येक उपखंड इस अर्थ में पारस्परिक रूप से अनन्य हैं कि एक बार धारा 434 (1) (बी) लागू होने के बाद, धारा 434 (1) (ए) लागू होना बंद हो जाती है। इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों पर, हम कह सकते हैं कि

कंपनी याचिका केवल 03.07.2015 पर दायर की गई थी, जिसके तहत एक नोटिस दिया गया था।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 दिनांक 15.04.2015। यह याचिका कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (ए) के साथ पठित धारा 433 (ई) के तहत दायर की गई थी। जिस स्तर पर याचिका दायर की गई थी, संभवतः इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (बी) के तहत दायर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वसूली अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र के रूप में निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी नहीं की गई थी। इस कारण से भी, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के इस तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

20. हम केवल यह कहकर समाप्त कर सकते हैं कि वर्तमान जैसे मामलों का निर्णय लेनदारों के हित को संतुलित करके किया जाना चाहिए, जिनके पास पैसा बकाया है, एक देनदार कंपनी के साथ जो अब लाल रंग में चली जाएगी क्योंकि इसके खिलाफ एक समापन याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी जैसे व्यक्तियों के लिए यह खुला नहीं है कि वे समापन याचिका का विरोध करें जो अन्यथा विचारणीय है।

इसके लिए कोई प्रामाणिक बचाव के बिना। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि प्रत्यर्थी को ऋण वसूली अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक साथ समापन कार्यवाही के तहत एक उपाय का पीछा करने में गर्म और ठंडा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ, लिसेन्डेन बनाम में लॉर्ड एटकिन के निर्णय का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।

सी. ए. वी. बॉश लिमिटेड, [1940] 1 ऑल ई. आर. 425,436-437 पर, जो कहता है:

" वर्तमान मामले में चुनाव के सिद्धांत का कोई स्थान नहीं हो सकता है।

आवेदक के सामने वैकल्पिक अधिकार नहीं हैं। यह वही अधिकार है जिसका वह दावा करता है, लेकिन बड़े पैमाने पर। मिल्स वी. डकवर्थ, [1938] 1 ऑल ई. आर. 318, एक वादी जिसे लापरवाही के लिए हर्जाना दिया गया था, ने अदालत में भुगतान की गई एक बड़ी राशि में से निर्णय राशि ली थी और फिर [2019] 1 एस. सी. आर. की मात्रा के खिलाफ अपील की थी।

हर्जाना, और उनकी अपील के लिए एक समान आपत्ति द्वारा पूरा किया गया था। ग्रीर,

एल. जे. ने आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, पी. 321 :

" उसने (वादी ने) कहाः मैं गर्म और ठंडा नहीं उड़ाने वाला हूँ। मैं और गर्म उड़ाने जा रहा हूँ। "

यहां आवेदक के सामने वैकल्पिक अधिकारों के बीच कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने मुआवजे के निर्विवाद अधिकार का प्रयोग किया है, और अधिक का अधिकार होने का दावा किया है। एक ने दूसरे की मदद करने का अपना अधिकार नहीं खोया है क्योंकि एक ने पहला लिया है। जब प्रत्यर्थी जैसे सुरक्षित लेनदार स्तंभ से प्रेरित होते हैं

जो वैध रूप से उनके कारण है उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए, एक ही समय में एक से अधिक उपचार का लाभ उठाने के प्रयास में, वे गर्म नहीं उड़ते हैं और, लेकिन वे गर्म और गर्म उड़ते हैं। तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ना. के. त्रिपाठी